

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 95 / 2020

जयराम मीणा पुत्र श्री रामचरन निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर।

बनाम

कोषाधिकारी, भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश


दिनांक 01.01.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्त जयराम मीणा पुत्र श्री रामचरन निवासी झालाटाला तहसील वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 15.10.2020 कोषाधिकारी, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। कोषाधिकारी, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/775 दिनांक 02.12.2020 के द्वारा कोषाधिकारी, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबन्ध में कोषाधिकारी, भरतपुर से उनके पत्र क्रमांक/ 253 दिनांक 29.12.2020 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाएं कोषाधिकारी, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्त ने कोषाधिकारी, भरतपुर से सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने की प्रार्थना की है। कोषाधिकारी, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक 253 दिनांक 29.12.2020 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को वांछित सूचनाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। कोषाधिकारी, भरतपुर ने अपने जबाब की तारीख में पत्र क्रमांक 237 दिनांक 27.10.2020 की प्रति भी भिजवाई गई है। फिर भी अपीलान्त चाहे तो कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का नियमानुसार अवलोकन कर सकता है।

अस्तु अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (कोषाधिकारी, भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति कोषाधिकारी, भरतपुर को भी भेजी जावे।


(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

